

### योजना का उद्देश्य

- राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढीकरण।
- राज्य में वृक्षारोपण द्वारा हरियाली में वृद्धि एवं पर्यावरण शुद्धिकरण।

### योजना में दिये जाने वाले लाभ

- एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के 3 फीट अथवा उससे बड़े पौधों की उपलब्धता।
- सभी पौधे स्थानीय विभागीय पौधशालाओं से उपलब्ध कराये जायेंगे।
- प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी।
- पौधों पर किसान बंधुओं का संपूर्ण अधिकार।
- पौधों के मूल्य, प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जाएगी।

### चयन में प्राथमिकता

- 2 हे० न्यूनतम भूमि (एक साथ) पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक (i) किसान; (ii) किसान समूह
- (i) पूर्व से लगाये गये वृक्षों के साथ मिलाकर भूमि का रकबा 2 हे०; एवं (ii) विभाग द्वारा पूर्व से लगाये गये वृक्षारोपण के बगल की जमीन।

### कृषि वानिकी-अन्य प्रजाति योजना में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

- वन प्रमंडल का नाम :- .....
- जिला का नाम :- .....
- वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :- .....
- प्रखंड का नाम :- .....
- आवेदक का नाम :- .....
- पिता/पति का नाम :- .....
- पेशा :- .....
- जन्म तिथि :- .....
- स्थायी पता :- .....
- वर्तमान पत्राचार का पता :- .....
- ई-मेल (यदि हो) :- .....
- भूमि का विवरण :-

क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष

- समूह में आवेदन करने पर भूमि की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)

क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष

- अगर आप प्राथमिकता क्रम 2(i) या 2(ii) के तहत दावा रखते हैं तो इसकी विवरणी अंकित करें।
- प्रस्तावित वृक्षारोपण (कृपया ✓ करें)
  - (क) फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर)
  - (ख) कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर)
- इच्छित प्रजाति का नाम लिखें।

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या

- बैंक खाता विवरणी :-

बैंक खाता नं०	बैंक का नाम एवं शाखा	I.F.S.C कोड

- घोषणा :- मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता/चाहती हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आँधी तूफान में गिरने/सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूँगा/करूँगी।

### संलग्न अभिलेख की विवरणी

- 
- 
- 

- योजना में शामिल होने के लिए पात्रता
- न्यूनतम 100 पौधे लगाने लायक भूमि (निजी/लीज)।

### आवेदन कहाँ करें

- स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय
- वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय। (आवेदन की प्राप्ति रसीद दिया जाएगा)
- वन प्रमंडल कार्यालय का ई-मेल ([www.forest.bih.nic.in](http://www.forest.bih.nic.in)) पर उपलब्ध।
- हरियाली मिशन कार्यालय का ई-मेल : [krishivanikios@gmail.com](mailto:krishivanikios@gmail.com)

### आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजात

- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/अद्यतन लगान रसीद/लीज डीड की छायाप्रति।

### विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें

- संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय
- ई-मेल:- [hariyalimission@gmail.com](mailto:hariyalimission@gmail.com)
- मो० नं०- 9473045992 पर कार्यालय
- अवधि- प्रातः 10:00 से संध्या 5:00 बजे तक